रनेशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम

केशव देव तिवारी शिक्षा प्रसार समिति

2. संस्था का पूरा पता

ग्रा० पो० गोहन तह० माधौगढ़ जिला जालीन (उ०प्र०)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा

4. संस्था के उददेश्य

निम्नलिखित उददेश्य होगें :

भारतीय जनता में सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक ग्राम उपयोगिक एवं शैक्षिक एव तकनीकी आर्थिक उत्थान के कि लिये कार्य करना जिससे जीवन सुखमय एवं सम्पन्न हो सके।

समाज की गरीब, बेसहारा बालक व बालिकाओं के उत्थान हेतु सामाजिक सम्मेलन द्वारा उनका निःशुल्क आदर्श विवाह कराना व उनकों शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त प्रकार की सुविधाओं से अवगत करांकर उनको सरकारी सहायताओं के दिलाने का प्रयास करना।

बालक व बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर उनमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर (रनातक-रनातकोत्तर तथा औद्योगिक एवं तकनीकी) शिक्षण संरथाओं, विद्यालयों की खापना कर उनका संचालित करना।

शासन द्वारा चलाये जा रहे जल प्रवाहित शीचालय (सूलभ शीचालयों) को उनके अनुबन्ध पर चलाये जाने में पूर्ण सहोग करना।

युवाओं एवं बालकों के सर्वागींण विकास हेत् कार्य करना, युवाओं में नेतृत्व की क्षमता

का विकास करना, बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रयास करना। समाजिहत में संस्था अपने सहयोग से सामाजिक कुरीतियों जैसे नशाखोरी, आस्पर्शता दहेज प्रथा, विधवा उत्पोड़न आदि के विरुद्ध प्रचार प्रसार करेगी। एवं उनके जीवन पर होने वाले क्रुप्रभाव से लोगों को अवगत कराना इस हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार

करना इसके लिये शिविरों, सम्मेलनों, गोष्ठियों, सेमिनार आदि का आयोजन करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार क्रूपना इस हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं उनके विभौगों अनुभागों से योजनाए व कार्यक्रमों को लेकर उनके द्वारा उनके समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभान्वित कुरने का प्रयास करना।

संस्था विधवा व परियावत महिलाओं आश्चय प्रदान करेगी उनके पुनर्विदाह एवं जीविकोपार्जन तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेटिंग आदि केन्द्रों की व्यवस्था करना।

देवी आपदाओं के समय पढ़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना जैसे युद्ध महामारी दुर्घटना, बाढ़ सुखा आदि इसके लिये फीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा उन्हें मुफ्त भोजन, वस्त्र एव

दया आदि की मदद पहुंचाने का कार्य करेगी। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इत्यादि से दान ऋण वित्तीय सहायता प्राप्त करना उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्था की सम्पत्तियों का गिरबी एखना एवं अन्य सदस्यों की जमानत स्वीकार

करना।



10



किवार कार्या

ना न राज

Vs प्रिक्श सत्य प्रतिलिपि डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिर

केशव देव तिवारी महाविद्यालय गोहन (जालीन)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो / सदस्यों के नाम, पिता / पित का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जन्हें संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौपा गया है।

कमांक नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्रीमती कृष्णा कुमारी	स्व0 श्री केशवदेव	ग्राम गढ़िया (गोहन) माघौगढ़ जालीन	संरक्षक	समाजसेवा
2.डा० श्रीमती मालतीद्विवेदी	श्री शशिकांत द्विवेदी	मु0 बालमभद्ट जिला जालौन	अध्यक्ष	चिकित्सक
3. श्री शिवनारायण	स्व0 श्रीमन नारायण	ग्राम पी० छिरिया सलेमपुर जालौन	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
4. श्री विजयशंकर तिवारी	शुक्ला स्व0 केशवदेव तिवारी	ग्राम गढ़िया (गोहन) माधौगढ़ जालौन	प्रबंधक	कृषि
5. श्री शिवशंकर त्रिपाठी	रच0 शिवरतन त्रिपाठी	ग्राम पीपरी गहरवार नौरेजपुर जालीन	उपप्रबंधक	कृषि
6. श्री नाथूराम शुक्ला	स्व० माताप्रसाद	ग्राम पो0 टीहर माघौगढ़ जालौन	कोषाध्यक्ष	सं0नि0कम
7. श्री लक्ष्मणगोविन्द हर्षे	स्व0 गोविन्दराव हर्षे	मु० बालममट्ट जिला जालौन	मंत्री	समाजसेवा
8. श्री रामराजा निरंजन	श्री रामलखन निरंजन	मू0 खण्डेराव जिला जालौन	आडीटर	कृषि
2 of many 3 m	ही मोतीस	मु० बालमभट्ट जिला जालौन	सदस्य	प्रावशिक्षक
THE PART PART	रे स्व० शिवबालक	ग्राम पो० सरावन माघौगढ़ जालौन	सदस्य	कृषि
१९ क्या स्टूबर कि वरी 11. श्री द्यारां के स्वारी	श्री भरतराम तिवारी	ग्राम पो० गोहन माधौगढ़ जालौन	सदस्य	कृषि

हम हिन्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि उपरोक्त स्मृतिपत्र व संलग्न नियमावली को सोसायटी जस्टेशन-अधिनियम की घारा 21 सन 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है"।

नाक निर्मा

क्रिक्या क्रिमारे

My

Stoothull

vs. Dage

विवन्हान

शिवशंकर निपाठी

नाष्ट्राम अवस

केशव देव तिवारी महाविद्यालय

G.m. 28

Ziserim Ajur

RRYERMA

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार कम्सं सीसाइटीज एवं विटक अ वश्यश्र सांसी

ातिवाप करो भी १०-०१

नियमावली

1. संस्था का नाम

ः केशव देव तिवारी शिक्षा प्रसार समिति

2. संस्था का पूरा पता : ग्राम पो० गोहन तह० माघौगढ जिला जालौन (उ०प्र०)

3 संस्था का कार्यक्षेत्र

ः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा : स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे

4. संस्था के उददेश्य 5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

कोई भी वयस्क व्यक्ति संस्था द्वारा अथवा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर संस्था का सदस्य बन सकेगा. परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यता हेतु प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के एक वर्ष बाद ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा ।

सदस्यों के वर्ग निम्नलिखित होंगे:

अ. संरक्षक सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुवलिंग 1100/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति संस्था की दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा।

ब. आजीवन सदस्यः

जो व्यक्ति इस संस्था को एक मुश्त एक बार मुक्तिम 2000/-रूपया अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप देगा वह इस संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

स. सामान्य सदस्यः

जो व्यक्ति संस्था को प्रतिवर्ष 501/-रूपया अथवा इससे अधिक मृल्य की सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा ।

द. विशिष्ठ सदस्यः

जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हों जिन्हें संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति प्राप्त कर नामित करेगी वह व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति मतदान में भाग लेने के अधिकारी न होंगे तथा न ही सदस्यता शुल्क के रूप में कोई धनराशि ही अदा करेंगे 1 सदस्यता की समाप्ति :

संस्था की सदस्यता की समाप्ति निम्नकारणों में से किसी एक कारण के होने पर की जा सकेगी।

किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर पागल या दिवालिया हो जाने पर सदस्यता शुल्क अदा न करने पर प्रबन्धसमिति को अपना त्याग पत्र देने पर

न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दिण्डत किये जाने पर

6. लगातार विना सूचना के तीन बैठकों में अनुपरिथत रहने पर 7. संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर

र. संस्था के अंग :

अ. साधारण सभा

व. प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण रागा :

अ. गठनः साधारण सभा का गठन समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगी।

ब. बैठकः साधारण सभा की वर्ष में दो बैठक अनिवार्य होगी, विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सचना देकर कभी भी बुलाई जा सकेगी।

स. सूचना अवधिः साधारण समा की वार्षिक बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जाना आवश्यक हैं।

द. गणपूर्तिः साधारण सभा की बैठकों का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा परन्तु स्थिगित वैठकों के लिए कोरम का बन्धन नहीं होगा बशर्त एजेण्डा न बदला जाये ।

केशव देव तिवारी महाविद्यालय गांहन (जालीन)

यस्य प्रतिसिधि खहाबक रजिस्ट्राप्ट कार सोसाइटीज एवं विटय ये. विशेष वार्षिक अधिवेशनः साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी तिथि व समग प्रबन्धकारिणी समिति ही निश्चित करेगी।

र साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकारः

- 1. साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।
- संस्था की नीति निर्धारण करना, नियमों /विनियामों में संशोधन करना ।

3. प्रबन्धकारिणी समिति में हुऐ रिक्त रथान की पूर्ति करना ।

4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब (बजट) का अनुमोदन करना ।

- 5. कार्य विशेष के लिए संगितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।
- 6. भृष्ट सदस्यों को संस्था से निकालने का अधिकार साधारण सभा को होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समितिः

अ. गठनः प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के द्वारा होगा व पद स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे।

ब. बैठक (सामान्य/विशेष) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार आवश्यक हुआ करेगी व आकरिंमक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी युलाई जा सकेगी । स. सूचना अवधिः प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचना लिखित दी

द. गणपूर्तिः प्रबन्धकारिणी समिति की वैठक का कोरम कुल संख्या 2/3 बहुमत से होगा, स्थिगित बैठकों के लिए कोरम की बाध्यता न होगी बशर्ते एजेण्डा न बदला जाये। य. रिक्त स्थान की पूर्ति आदि:

1. प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों के आकरिमक रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए प्रवन्धकारिणी समिति साधारण समा के सदस्यों से घयन/नामित कर करेगी ।

र प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्यः

1. संस्था के संचालन एवं साधारण समा के प्रस्ताव का पालन करना और योजनाएं बनाना। 2. संस्था की उन्नति हेतु नियमों/दिनियमों को बनाना व साधारण समा से उसकी पष्टि

3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग, आयोग, बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों, से धर्माथ आर्थिक सहायताऐ प्राप्त करना ।

ल. कार्यकालः

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा । 10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्यः

सरसकः

1. संस्था की विशेष रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना और समय समय पर विशेष प्रकार की गतिविधियों से परिचित रहना ।

अध्यक्षः

1. वैठकों का सभापत्वि करना। समिति के अधिकारों की देखरेख करना व नियंत्रण करना ।

2. समाओं के तारीखों की यरजाबन्दी देना, उन्हें स्वीकृत करना या भविष्य के लिये बन्द कर देना ।

- 3. प्रबंधक के साथ की योजना के अन्तर्गत या योजना में निहित या कानून द्वारा निर्देशित सभी अधिकार बरतना ।
- 4. प्रत्येक संस्थाओं का एक ही अध्यक्ष होगा ।
- अध्यक्ष की अनुपरिथति में उपाध्यक्ष समा का सभापतित्व करेगा, जो समय समय पर उस दिन की गीटिंग के लिये चुना जायेगा ।

6. प्रबन्धक समिति तथा साधारण सभा का समय पर आमन्त्रित करना । 7. संस्थाओं के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुवित पदोन्नति ।

रेशवदेव तिवारी महाविद्यांलण गोहन (जालीन)

Me Down

प्रबंधक केशत देव तियारी महाबिह स्रेशबदेव तिवारी महाविद्यालय यत्य प्रतिनिषि "मध्याम् अन्य

सहासक रिजस्टार कार्स लोसाइटीज एवं चिटक

8. निलम्बित करना तथा पदच्युत करना, प्रबंधक की सलाह लेकर अध्यक्ष कर सकता है। 9. किसी आवश्यक घटना पर प्रबन्धसमिति के समस्त अधिकारों का उपयोग करके संस्था का

10. अध्यक्ष को फुटकर एक गुरत 300/-रुपये तक के व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार होगा ।

11. संस्थाओं की ओर से प्रत्येक चैक, हुन्डी, एफ.डी. व दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना । 12. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपनी संस्थाओं के हित से प्रबंधसमिति के सदस्यों को उनके द्वारा की गयी त्रूटियों पर प्रबन्धकारिणी की सलाह से उन्हें दण्ड दे तथा उन्हें निलम्बित कर दे और प्रथक करने के सम्बन्ध में साधारण समा के समक्ष प्रस्ताव रखकर उन्हें प्रथक कर दें. 1

उपाध्यक्षः

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभाओं की अध्यक्षता करना और उसके कार्य अदा होने पर उसके तमाम कर्तव्यों का पालन करना ।

प्रवादक :

1. वह समिति का मंत्री होगा ।

2. अनुदान, दान, चंदा आदि संस्था के हक में प्राप्त करना और उनकी रसीद देना तथा उनके व्यय की पूर्ति का उत्तरदायी होना ।

3. समिति के निर्देशाुनसार संस्था की तमाम सम्पत्ति तथा जयादार की सुरक्षा का प्रबन्ध करना, वह सम्पत्यों व जायदाद की व्यवस्था का उत्तरदायी होगा। इसमें ब्याज फण्ड शामिल नंही है ।

4. संस्था की आय व्यय का नियंत्रण करना ।

5. हिसाब किताब की वार्षिक जांच का प्रबन्ध करना ।

6. संस्था तथा समिति के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि स्वीकार करना और समिति द्वारा स्वीकृत सेवाओं का भुगतान करना।

7. संस्था की जायदाद से सम्बन्ध रखने यवाले कागजातों पर अध्यक्ष के साथ सम्मिलित हस्ताक्षर

क्रीय व्यय का लेखा अध्यक्ष को देना जो समिति के सामने प्रस्तुत किया जाये । संध्य के वार्षिक विवरण उपस्थित करना ।

10. परिशा तथा समिति की ओर समाओं का आयोजन करना और समाओं की कार्यवाही का रिकार्ड

11. चेंस्या सिमिति के ओर सभी कानूनी कार्यवाहियों में इनका प्रतिनिधित्व करना ।

12, प्रद्यानाध्यापक की सिफारिशों परअन्य कर्मचारियों की छुद्टी प्रदान करना । कै, प्रधानाध्यापक की सिफारिश पर किसी भी अध्यापक या लिपिक को उस समय तक के लिये

निलम्वित करदेना जब तक कि नियमानुसार जांच न हो जाये और समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से एक्शन देना ।

ख. संस्था के समस्त कर्मचारियों के पत्र व्यवहार का माध्यम बनना ।

ग. सिमति द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्य रूप देना ।

घ. शासन प्रबन्ध की योजना तथा नियम और अधिनियम का निर्वाह करना ।

*ड़. समिति कीस्वीकृति के पूर्व 200 / -*रूपये तक का व्यय कर सकता है।

सप्प्रबंधकः

1. प्रबंधक की अनुपरिथति में उपप्रबंधक प्रंबधक के कर्तव्यों का पालन करेगा ।


कोषाध्यक्षः

1. संस्था के तमाम फण्ड तथा सभी सम्पत्ति का हिसाब किताब रखना ।

2. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक को हिसाब किताब का विवरण देना जो समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

3. धन सम्बन्धी आय व्यय के मामले में मंत्री को सहायता पहुंचाना ।

4. व्याज फण्ड को छोडकर संस्था के समस्त फण्डों की जांच रखना ।



1. प्रत्येक कागज की देख रेख रखना जो कि समिति से सम्बन्धित संस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धसमितियों का समा के समक्ष उपस्थित करेगा।

2. सिमिति के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को भाषा में लिपिबद्ध करना।

संस्थाओं के हिसाब किताब व रोकड़ वही को समय समय पर आडिट करेगा।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

12. संस्था का कोषः (लेखा व्यवस्था):

1. संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त वैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, खाते का संचालन अध्यक्ष व प्रबंधक दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

13. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आहिट) :

1. संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण (आडिट) प्रतिवर्ष किया जायेगा जो संस्था में नियुक्त आंकेक्षक या किसी चार्टंड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में साधारण सभा में प्रस्तृत की जायेगी ।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक / मंत्री को अथवा उसके द्वारा कार्य0 के किसी भी अधिकृत व्यक्ति को होगा ।

अभिलेखः

. सदस्यता रजिस्टर,

2. कार्यवाही रजिस्टर,

एजेण्डा (सूचना) रिजस्टर,

4. स्टाक रजिस्टर,

5. कैश बुक,

6. रसीद बुक आदि होंगे व आवश्यकतानुसार बनाये भी जा सकेंगे।

16. संस्था का विघटनः

1. संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार ही होगी ।

(सत्यप्रतिलिपि)

दिनांकः । ५ १० ० 8

Ns. Wass

प्रचन्धाक केशव देव तिवारी महाविद्यालय गोहन (जालीन)

सत्य प्रतिलिपि

10. mear

1260 भी सहायक रिजिस्ट्रार

29-10-08 44121-12 And

Scanned with CamScanner

आडीटरः

से शोसाइटीज एवं जिटस

प्रारूप-9 नियम 8(2) देखिये

त्या 00712/2023-2024

दिनांक 21/10/2023



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

पत्रावली संख्या: 3-21053

दिनांक: 2008-2009

संख्या:R/JAL/08627/2023-2024

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि केशव देव तिवारी शिक्षा प्रसार समिति, या0 पो0 गोहन, तह0 माधौगढ जिला जातीन उ0प्र01, जानौन, 285129 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 568/2008-09 दिनांक-22/10/2008 को दिनांक-22/10/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By
(Anand Kumar Singh)
E33AABD5B25EE7AB3A440C36DFE37CDD3C2C76B4

Date: 21/10/2023 3:26:08 PM, Location: Jhansi .

जारी करने का दिनांक-21/10/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश ।

द्वाद्यन्थान तेशव देव तिवारी महाविद्यालय गोहन (जातोन)